भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1869

(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का पुनर्निर्माण और मरम्मत

1869. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्रीमती भारती पारधी:

श्री नारायण तातू राणे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान देश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वित्तीय वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए किए गए बजट प्रावधान का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई- III के अंतर्गत उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सड़कों का उन्नयन किया गया;

(घ) उक्त निर्वाचन क्षेत्र में उक्त प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश सहित राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;

(ङ) उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2025-2026 तक राज्यवार कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) वर्ष 2024 तक महाराष्ट्र में कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) 'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार , कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों का पुनर्निर्माण और रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। चूंकि पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए एकबारगी सहायता कार्यक्रम है , इसलिए इसके तहत सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार , पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान परभणी संसदीय क्षेत्र में सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 124.38 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई और व्यय की गई।

(ग) मंत्रालय में पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के संबंध में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परभणी और जालना जिले शामिल हैं। उक्त अवधि के दौरान इन जिलों में पीएमजीएसवाई- III के तहत 102.57 किलोमीटर लंबाई की कुल 14 सड़कों का उन्नयन किया गया है।

(घ) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निधि जारी की जाती है, यह अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में चल रहे मौजूदा कार्यों, निष्पादन क्षमता और अप्रयुक्त निधियों पर निर्भर करती है। जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को आगे निधि जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पीआईयू की उपयोग क्षमता के आधार पर किया जाता है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों को आवंटित और जारी की गई निधि का मध्य प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा, **अनुबंध-II** में दिया गया है।

परभणी और जालना जिलों में पीएमजीएसवाई III के अंतर्गत राज्य अंश सहित कुल 160.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ड़) पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा मार्च , 2025 है। शेष कार्यों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(च) दिसंबर, 2024 तक महाराष्ट्र राज्य में पीएमजीएसवाई के तहत 30,323 किलोमीटर लंबाई की कुल 6,390 सड़कों का निर्माण किया गया है।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1869 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान देश में पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें	
		सड़क निर्माण कार्य की संख्या	लंबाई (किमी में)
1	अंडमान और निकोबार	73	119.19
2	आंध्र प्रदेश	602	3,533.14
3	अरुणाचल प्रदेश	426	5,604.55
4	असम	3,332	9,726.94
5	बिहार	2,514	9,047.84
6	छत्तीसगढ	1,741	10,545.88
7	गोवा	0	0.00
8	गुजरात	258	2,653.27
9	हरियाणा	244	2,366.07
10	हिमाचल प्रदेश	1,098	6,069.53
11	जम्मू और कश्मीर	1,510	9,040.40
12	झारखंड	2,115	6,894.98
13	कर्नाटक	709	5,218.50
14	केरल	164	663.24
15	लद्दाख	51	526.00
16	मध्य प्रदेश	1,886	13,915.27
17	महाराष्ट्र	399	3,213.98
18	मणिपुर	379	3,726.09
19	मेघालय	575	2,708.46
20	मिजोरम	122	1,278.51
21	नागालैंड	45	623.55
22	ओडिशा	4,315	15,209.99
23	पुदुचेरी	30	62.36
24	पंजाब	157	1,727.82
25	राजस्थान	896	7,427.94
26	सिक्किम	179	742.59
27	तमिलनाडु	1,977	5,833.09
28	तेलंगाना	331	2,141.02
29	त्रिपुरा	136	600.07
30	उत्तर प्रदेश	2,020	16,272.18
31	उत्तराखंड	1,195	8,961.14
32	पश्चिम बंगाल	1,834	5,361.24
कुल		**31,313**	**161,814.83**

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1869 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्यों को जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 दिनांक 6.03.2025 तक
		जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	9.22	12.22	12.22	0.00
2	आंध्र प्रदेश	476.27	53.20	50.00	644.13	140.64	171.07
3	अरुणाचल प्रदेश	1,123.00	952.31	1,090.60	1,018.74	339.90	350.00
4	असम	2,401.88	2,516.62	1,591.50	664.91	391.29	22.78
5	बिहार	286.70	49.13	375.00	1,443.23	963.37	899.66
6	छत्तीसगढ़	1,614.60	924.48	394.41	995.87	401.77	100.29
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	79.08	195.50	266.63	298.41	147.34
9	हरियाणा	16.03	0.00	353.23	168.25	74.01	0.38
10	हिमाचल प्रदेश	1,284.89	745.24	517.45	624.76	617.56	325.50
11	जम्मू एवं कश्मीर	695.50	1,727.30	1,328.34	717.00	1,304.17	685.50
12	झारखंड	214.41	293.50	0.00	332.63	752.80	498.62
13	कर्नाटक	534.24	49.29	704.25	720.47	72.25	50.00
14	केरल	48.64	89.97	0.00	106.76	54.25	122.27
15	मध्य प्रदेश	1,308.97	1,099.54	1,392.25	1,557.47	599.42	361.29
16	महाराष्ट्र	150.00	0.00	0.00	743.00	1110.80	463.93
17	मणिपुर	263.85	420.66	742.00	744.98	161.29	2.81
18	मेघालय	357.00	355.29	483.92	405.89	122.59	122.19
19	मिजोरम	576.06	1.59	74.34	584.20	141.37	87.50
20	नागालैंड	88.89	72.89	145.31	183.15	161.29	2.25
21	ओडिशा	798.11	774.29	404.12	1,235.88	1262.55	479.89
22	पुदुचेरी	0.00	0.00	11.66	24.72	0.27	0.00
23	पंजाब	0.00	0.00	68.59	231.06	265.10	319.87

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्यों को जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)					
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 दिनांक 6.03.2025 तक**
		जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि	जारी निधि
24	राजस्थान	184.74	237.15	917.51	199.90	404.79	361.94
25	सिक्किम	4.39	195.50	107.28	263.33	94.37	70.00
26	तमिलनाडु	308.46	265.38	440.00	613.70	411.36	199.66
27	त्रिपुरा	10.64	69.57	73.88	267.59	185.03	26.13
28	तेलंगाना	267.38	0.00	86.38	321.43	296.9625	14.66
29	उत्तर प्रदेश	78.07	123.90	1,418.55	2068.57	2679.63	1,468.66
30	उत्तराखंड	554.90	1,536.27	787.00	1297.16	551.05	521.75
31	पश्चिम बंगाल	348.25	969.31	49.94	381.03	99.275	115.00
32	लद्दाख	0.00	50.00	140.79	109.97	37.50	73.31
कुल		**13,995.87**	**13,651.46**	**13,952.99**	**18,948.61**	**14,007.29**	**8,064.23**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1869 के भाग (ड़) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिनांक 5/3/2025 के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शेष कार्य		
		सड़क निर्माण कार्य की संख्या	लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	56	248	0
2	आंध्र प्रदेश	371	1,891	91
3	अरुणाचल प्रदेश	334	2,885	93
4	असम	171	775	59
5	बिहार	404	1,900	523
6	छत्तीसगढ़	1,048	4,184	111
7	गोवा	10	63	2
8	गुजरात	26	153	175
9	हरियाणा	4	6	0
10	हिमाचल प्रदेश	330	2,953	26
11	जम्मू एवं कश्मीर	189	868	86
12	झारखंड	424	2,464	191
13	कर्नाटक	91	187	9
14	केरल	233	978	11
15	लद्दाख	61	452	0
16	मध्य प्रदेश	575	1,717	336
17	महाराष्ट्र	623	2,863	240
18	मणिपुर	200	1,266	55
19	मेघालय	161	1,098	57
20	मिजोरम	37	468	0
21	नागालैंड	58	623	0
22	ओडिशा	389	1,245	80
23	पुदुचेरी	1	2	0
24	पंजाब	152	1,288	20
25	राजस्थान	88	294	20
26	सिक्किम	105	405	49
27	तमिलनाडु	656	2,519	60
28	तेलंगाना	363	1,548	180
29	त्रिपुरा	166	955	14

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिनांक 5/3/2025 के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शेष कार्य		
		सड़क निर्माण कार्य की संख्या	लंबाई (किमी में)	पुलों की संख्या
30	उत्तर प्रदेश	256	1,222	1
31	उत्तराखंड	272	1,860	56
32	पश्चिम बंगाल	475	3,548	7
कुल		**8,329**	**42,929**	**2,552**